Rudra Laxmi Kund

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 ......55....../न0 अ0 वि0 दिनांक ....3-5-13....

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिलिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री ...[illegible] अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] ...[illegible] अग्रवाल... श्रीमती [illegible] अग्रवाल [illegible] ...अग्रवाल...
पिता/पति का नाम श्री .... आराजी संख्या ...367/1..... मौजा [illegible] ...वाराणसी वार्ड ...[illegible]... में नक्शे में वर्णित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20

23 | 12 [illegible]
निवास

[signature] 3/5/13

[illegible] (अवर)
[illegible] पूर्वे उपाध्यक्ष [illegible]
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट: 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण हटा ली गई हो) को हानि पहुँचे तो वह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर .... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमींनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. मलवा अपने भूखण्ड पर रखने का शपथ पत्र दिया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
2. रैन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक होगा तथा इस हेतु रू0 50,000.00 की सावधि 05 वर्ष के लिए प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
3. स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल के लेबिल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
4. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग नहीं किया जायेगा।
5. भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
6. स्वामित्व के सम्बन्ध में एवं प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी मानचित्र प्रस्तावक की होगी तथा विवाद उत्पन्न होने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
7. पक्ष को प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
8. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन, अभिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वामित्व/बिल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
9. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
10. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि0 03.10.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तो का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19.12.12 का अनुपालन करना होगा।

15/3/13

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री बालकृष्ण अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन दास,
श्रीमती लेखा अग्रवाल पत्नी श्री बालकृष्ण अग्रवाल व
श्री राधेकृष्ण अग्रवाल व श्रीमती सपना अग्रवाल
पत्नी श्री आनन्द कृष्ण अग्रवाल
आराजी संख्या–267, मौजा–मवईया,
वार्ड–सारनाथ, वाराणसी।

पत्रांक–[illegible]/वि0प्रा0/निमास/2016–17 दिनांक : 1-6-16

विषय : *आराजी संख्या–267, मौजा–मवईयां वार्ड–सारनाथ पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 10.12.14 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उपरोक्त स्थल का शमन मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आपको अग्नि शमन विभाग एवं पूर्व में दिये गये सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक–स्वीकृत मानचित्र की 01 प्रति।

भवदीय,

31/5/16

जोनल अधिकारी।

दिनांक 21/8/22 के प्र० क्रमांक – 1449 अंकित है

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

मेसर्स रूद्रा रियल स्टेट प्रा0लि0,
बजरिये श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल,
आराजी सं0–267, मौजा–मवईयॉ, परगना–शिवपुर,
वार्ड–सारनाथ, वाराणसी।

पत्रांक:– 60/14/क0/वि0प्रा0/विन्यास/2018–19 दिनांक:– 14-5-18

विषय:– आराजी सं0–267, मौजा–मवईया, परगना–शिवपुर, वार्ड–सारनाथ, वाराणसी पर प्रस्तुत शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तद्क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र पूर्व में उल्लिखित शर्तों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है; जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक– एक प्रति स्वीकृत शमन मानचित्र।

भवदीय,

14/5/18

प्रभारी अधिकारी मानचित्र।